

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-पी0पी0एम0- 36/2016-

2687 / कृ0, पटना, दिनांक 14/6/ 2016

प्रेषक,

प्रभु राम,  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+)अ-नौपचारिक  
रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

विषय :

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सोनपुर मेला आयोजन हेतु 20.00 लाख (बीस लाख) रुपये एवं राजगीर महोत्सव हेतु 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये कुल 32.00 लाख (बत्तीस लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में सोनपुर मेला आयोजन हेतु 20.00 लाख (बीस लाख) रुपये एवं राजगीर महोत्सव हेतु 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये कुल 32.00 लाख (बत्तीस लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सोनपुर मेला हेतु स्वीकृत राशि 20.00 लाख(बीस लाख) के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 15.60 लाख (पन्द्रह लाख साठ हजार) रुपये की निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 विषय शीर्ष 2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन में उपबंधित राशि 156.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

सोनपुर मेला हेतु स्वीकृत राशि 20.00 लाख(बीस लाख) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 4.00 लाख (चार लाख) रुपये की निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007890106 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 विषय शीर्ष 2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन में उपबंधित राशि 40.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

सोनपुर मेला हेतु स्वीकृत राशि 20.00 लाख(बीस लाख) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0.40 लाख (चालीस हजार) रुपये की निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007960134 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 विषय शीर्ष 2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन में उपबंधित राशि 4.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

3. सोनपुर मेला की स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सारण(छपरा) होंगे। राशि की निकासी जिला कोषागार, छपरा से की जायेगी।

4. राजगीर महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि 12.00 लाख(बारह लाख) रुपये के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 9.36 लाख (नौ लाख छत्तीस हजार) रुपये की निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 विषय शीर्ष 2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन में उपबंधित राशि 156.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

राजगीर महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि 12.00 लाख(बारह लाख) रुपये के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) रुपये की निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007890106 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 विषय शीर्ष 2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन में उपबंधित राशि 40.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

राजगीर महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि 12.00 लाख(बारह लाख) रुपये के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0.24 लाख (चौबीस हजार) रुपये की निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007960134 राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5022 विषय शीर्ष 2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन में उपबंधित राशि 4.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

5. राजगीर मेला की स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा होंगे। राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायेगी।

6. इस योजना के लिए कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग का संकल्प संख्या-96 वि०(2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त प्रस्ताव के आलोक में सचिव, कृषि की स्वीकृति प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-36/2016 के पृ०सं०- 8/टि. पर दिनांक- 03.06.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम) 7/6/16

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

/क०, पटना, दिनांक 14/6/2016

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०- 36/2016-

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, छपरा एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

/क०, पटना, दिनांक 14/6/2016

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०- 36/2016-

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम., कृषि विभाग, बिहार, पटना/ उप निदेशक(शष्य), सूचना, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, सारण(छपरा)/जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।